कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट(उत्तरकाशी)।

Website- http://pwd.uk.gov.ine

mail:-eepwdbarkot@rediff mail.com

दूरभाष / फैक्स नं001375–224756,fax 01375224828

पत्रांक 1152 / 4भू0अ0

दिनांक 19 / 07 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

विषय– जनपद उत्तरकाशी में गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.284 हे0 वनभूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक सं0 2330 / 12–1 दिनांक 16 मई 2024

महोदय,

विषयगत कार्य की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र सं0 8 / वी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 06 / 2019 / एफ0सी0 / 2529 दिनांक 25.01.2018 द्वारा प्राप्त हुयी है। विषयगत कार्य की विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0– 722 / 4भू0अ0 दिनांक 06.05.2024 द्वारा पूर्व में प्रेषित है। पुनः अनुलान आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नानुसार हैः–

शर्ते	शर्तो का अनुपालन
1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.568 ग्राम क्लोजगांव, बड़कोट, सिविल सोयम भूमि एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों पर समाहित करते हुए यथासंशोधित जमा की जायेगी। उक्त भूमि वनविभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किया जायेगा भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त सं0 1, 2, 3, 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.568 है0 ग्राम क्लोजगांव, बड़कोट, सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण कर दी गयी है। (जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी का पत्र संलग्न) क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु तथा एन0पी0वी0 निर्धारित धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करते हुए यथासंशोधित) कुल रू0 6508973.00 मात्र संलग्न चालान सं0 S7470735 के अनुसार जमा कर दी गई है। (चालान की फोटो प्रति संलग्न)
2-Underline Para 2, 4(i) के अनुसार एक क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त सं0 1 के अनुसार।
3–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि रू0 1918589.00 दिनांक 18.07.2024 (बिल की प्रति संलग्न) को जमा कर दी गयी है।
4– शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढ़ी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्वता प्रस्तुत की जाय।	4– एन0पी0वी0 के शुद्व वर्तमान मूल्य में बढोत्तरी होती है तो अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि रू0 1918589.00 दिनांक 18.07.2024 (बिल की प्रति संलग्न) को जमा कर दी गयी है।

Scanned with OKEN Scanner

5– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर online generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा की जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	5– शर्त सं0 4 के अनुपालन में यदि एन0पी0वी0 के शुद्व वर्तमान मूल्य में बढोत्तरी होती है तो अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि रू0 1918589.00 दिनांक 18.07.2024 (बिल की प्रति संलग्न) को जमा कर दी गयी है।
5– कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 940 से अधिक न हो।	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 940 से अधिक न हो।
विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य शर्तो	विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नवत है–
1– वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	1– शर्त सं0 1 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2– एन0पी0वी0 की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिये बाध्य होगा।	2– शर्त सं0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 दरो में बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि रू0 1918589.00 दिनांक 18.07.2024 (बिल की प्रति संलग्न) को जमा कर दी गयी है।
3–क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 8.568हे0 ग्राम क्लोजगांव बड़कोट सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम सूचना 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	3–शर्त सं0 3 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 8.568 है0 ग्राम क्लोजगांव बड़कोट सिविल एवं सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
4– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।	4– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी प्रकार का कैम्प नही लगाया जायेगा।
5– प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर Forward एवं Back Bearing अंकित किया जाएगा।	5– प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा। जिस पर Forward एवं Back Bearing अंकित किया जायेगा।
6– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस एवं केरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचे।	6– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों एवं स्टाफ के लिये रसोई गैस एवं केरोसिन तेल की आपूर्ति करायी जायेगी तथा निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
7– परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।	7– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
8– वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति मे इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।	8– वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति मे वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के Transfer नहीं किया जायेगा।
9– सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर	9– प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों

Scanned with OKEN Scanner

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी।	तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा।
10–परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी के देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	10– परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी के देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
11– यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो इनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	11–यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो इनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
12– ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	12– ऐसी कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक होगी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

अतः विनम्र अनुरोध है कि विषयगत कार्य की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर सहित।

संलग्न–1 अनुपालन आख्या की छायाप्रति।
2–बिल व चालान की छायाप्रति।

भवदीय

(इं0 मनोहर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,बड़कोट।

दिनांक 19 /07/2024

पत्रांक 1152 /4 नुम.
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) सुभाष रोड़, देहरादून।
2. नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून उत्तराखण्ड।
3. अमीन निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट को सूचनार्थ प्रेषित।

19/7/24
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,बड़कोट।

Scanned with OKEN Scanner

P.D

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट(उत्तरकाशी)।

Website- http://pwd.uk.gov.ine
mail:-eepwdbarkot@rediff mail.com
दूरभाष/फैक्स नं001375–224756,fax 01375224828

दिनांक 01/10/2020

पत्रांक 1053/4 प्र0 अ0

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट (उत्तरकाशी)

विषय– जनपद उत्तरकाशी में गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.284 है0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन।

सन्दर्भ– भारत सरकार का पत्रांक 8बी0/यू.सी.पी./06/06/2019एफ.सी./2529 दिनांक 11.02.2020

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयक मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्त संख्या 1 से 6 की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है:–

1. शर्त सं0 1, 2, 3, 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.568 है0 ग्राम क्लोजगांव, बड़कोट, सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण कर दी गयी है। (जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी का पत्र सं0 8339/ग्यारह–विविध/2019–20 दि0 10 सितम्बर 2020 संलग्न) क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु तथा एन0पी0वी0 निर्धारित धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करते हुए यथासंशोधित) कुल रू0 6508973.00 मात्र संलग्न चालान सं0 S7470735 के अनुसार जमा कर दी गई है। (चालान की फोटो प्रति संलग्न)
2. शर्त सं0 4 के अनुपालन में यदि एन0पी0वी0 के शुद्ध वर्तमान मूल्य में बढोत्तरी होती है तो अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न।
3. शर्त सं0 6 के अनुपालन में 940 से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत है–

1. शर्त सं0 1 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2. शर्त सं0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 दरो में बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिये सहमत है।
3. शर्त सं0 3 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 8.568 है0 ग्राम क्लोजगांव बड़कोट सिविल एवं सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।
4. शर्त सं0 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी प्रकार का कैम्प नही लगाया जायेगा।
5. शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा। जिस पर Forward एवं Back Bearing अंकित किया जायेगा।
6. शर्त सं0 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों एवं स्टाफ के लिये रसोई गैस एवं केरोसिन तेल की आपूर्ति करायी जायेगी तथा निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
7. शर्त सं0 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

8. शर्त सं0 8 के अनुपालन में वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उदेश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति मे वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के Transfer नहीं किया जायेगा।

9. प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)

10. शर्त सं0 10 के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी के देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।

11. शर्त सं0 11 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो इनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।

12. शर्त सं0 12 के अनुपालन में ऐसी कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक होगी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति ओदश में वर्णित शर्त 1 से 6 व शर्त 1 से 12 का अनुपालन उक्तानुसार किया जाता है एवं अनुरोध है कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्रदान कराये जाने हेतु अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 1/10/20

(इं0 एस0के0गर्ग)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बड़कोट

पत्रांक 1053/ 4 ऊ0 3 ऊ0 दिनांक 01/10/2020

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) सुभाष रोड़, देहरादून।
2. नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून उत्तराखण्ड।
3. स्वयं को।
4. तेज प्रकाश, प्रधान सहायक को अभिलेख हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 1/10/20

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बड़कोट

OK

21701 / शासनादेश / सन•पं०सं० ₹ 6508973=00 दि० 28.7.2020 कैफियत

AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 28-07-2020

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6118078181
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/06/2019/FC
Address.	Construction Division PWD Barkot Uttarkashi
Remitter Contact No. Email Id. Mobile No. Landline No.	eepwdbarkot@rediffmail.com 9457268901 1375-224758
Amount(In Rs)	6508973/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0171)

Amount In Words: Sixty-Five Lakh Eight Thousand Nine Hundred and Seventy-Three Rupees Only

57470735

Depositor Signature — अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट (उत्तरकाशी) — Bank Official (Signature)

Bank Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 28-07-2020

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6118078181
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/06/2019/FC
Address.	Construction Division PWD BarkotUttarkashi
Remitter Contact No. Email Id. Mobile No. Landline No.	eepwdbarkot@rediffmail.com 9457268901 1375-224758
Amount(In Rs)	6508973/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0171)

Amount In Words: Sixty-Five Lakh Eight Thousand Nine Hundred and Seventy-Three Rupees Only

57470735

Depositor Signature — अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट (उत्तरकाशी) — Bank Official (Signature)

Bank Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

BANK COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 28-07-2020

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6118078181
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/06/2019/FC
Address.	Construction Division PWD BarkotUttarkashi
Remitter Contact No. Email Id. Mobile No. Landline No.	eepwdbarkot@rediffmail.com 9457268901 1375-224758
Amount(In Rs)	6508973/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0171)

Amount In Words: Sixty-Five Lakh Eight Thousand Nine Hundred and Seventy-Three Rupees Only

57470735

Depositor Signature — अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट (उत्तरकाशी) — Bank Official (Signature)

Bank Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

सरबडियार मोटर मार्ग

Scanned with OKEN Scanner

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बडकोट के पत्र संख्या 714/4 भू.अ. दिनांक 27 जुलाई 2020 के द्वारा एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत विकासखण्ड पुरोला में गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाली 4.284 है0 वन भूमि विभाग को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/06/2019/एफ0सी0/2529 दिनांक 11 फरवरी 2020 के द्वारा विभाग को हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 01 के अनुसार विभाग द्वारा ग्राम कलोज, तहसील बडकोट के अन्तर्गत नॉन जेड ए खाता संख्या 12 के खसरा संख्या 54म./0.200 है0, खसरा संख्या 109/5.221 है0 तथा खसरा संख्या 426म./3.147है0 कुल रकबा 8.568 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी बडकोट ने तहसीलदार बडकोट के पत्र संख्या 57/र0का0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण पत्रा0/2018-19 दिनांक 28 जुलाई 2020 को संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए अवगत कराया गया है कि उपरोक्त मार्ग निर्माण से प्रभावित वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 02 गुनी भूमि ग्राम कलोज की वर्तमान नॉन जेड.ए.खतौनी फसली वर्ष 1424 से 1429 के खाता संख्या 12 में उत्तराखण्ड सरकार की वर्ग 9 (3) ड के खसरा संख्या 54म./0.200 है0, खसरा संख्या 109/5.221 है0 तथा खसरा संख्या 426म./3.147है0 कुल रकबा 8.568 है0 सिविल सोयम भूमि प्रस्तावित की गयी है। उक्त भूमि पर कोई मन्दिर, शमशान, मस्जिद, धार्मिक स्थल, स्मारक, एतिहासिक स्थल एवं किसी सार्वजनिक उपयोग की नही है।

शासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 के अनुसार भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात प्रस्तावों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है तथा सैद्धांतिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जायेगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिनमे दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भेजा गया है उनके लिए किये गये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तांतरित की जाए जिससे इन योजनाओं में और अधिक विलम्ब से बचा जा सके।

अतः अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बडकोट के अनुरोध पत्र के क्रम में उप जिलाधिकारी/तहसीलदार बडकोट की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप विकासखण्ड पुरोला में गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाली 4.284 है0 वन भूमि के एवज में ग्राम कलोज, तहसील बडकोट की वर्तमान नॉन जेड.ए. खतौनी फसली वर्ष 1424 से 1429 के खाता संख्या 12 में उत्तराखण्ड सरकार की वर्ग 9 (3) ड के खसरा संख्या 54म./0.200 है0, खसरा संख्या 109/5.221 है0 तथ

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

ग्राम संख्या 426म. 3.147है० कुल रकबा 8.568 है० सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट को निःशुल्क हस्तांतरित किये को स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

ह०/-
(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 8339/ग्यारह-विविध/2019-20 — दिनांक 10 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी, बड़कोट।

तहसीलदार, बड़कोट।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बडकोट।

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
10/9/2020

Bill Type : Normal

[illegible]
[illegible]

ई-साइन
(हस्ताक्षर)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)

आकस्मिक देयक प्रपत्र
[illegible]
[illegible]

1. जनपद का नाम	उत्तरकाशी	
2. कोषागार का नाम	बड़कोट	
3. [illegible]		
4. [illegible] कोड	1 0 1	
5. कोषागार/उपकोषागार का कोड	4 1 0 3	
6. [illegible]	0 0 0 1 0 0	
7. [illegible]	0	
8. [illegible]	[illegible]	
9. लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंकों का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्यौरेवार शीर्षक)	5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4	
12. आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम	: अधिशासी अभियंता नि० ख० लो० नि० वि० बड़कोट	
13. आहरण वितरण अधिकारी का कोड	4 2 3 3	
13. अधिष्ठान का नाम	: अधिशासी अभियंता नि० ख० लो० नि० वि० बड़कोट	
17. अनुदान संख्या (022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या	14- वोटेड कोड :1	15- सेक्टर कोड :2

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)जिला तथा अन्य सड़के
लघुशीर्षक -	(337)सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्यौरेवार शीर्षक -	(04)लो०नि०वि० का भुगतान / भूमि अधिग्रहण
वाउचर दिनांक	-

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	5072873	4658836	414037

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	19,18,589
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	19,18,589

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	19,18,589

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत [illegible] नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एव आदेशों [illegible] करने के बाद देयक प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के [illegible] की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)

नियंत्रक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल कालम संख्या-5 कटौतियों के प्रकरण में ही लागू)
(हस्ताक्षर)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
बड़कोट(उत्तरकाशी)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

धनराशि रू० 19,18,589 (Rupees Nineteen Lacs Eighteen Thousand Five Hundred Eighty Nine Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

समायोजन द्वारा रू० -
सकल धनराशि रू० 19,18,589

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	OP4103423307241004 Mr Uttamachal Campa	Saving	UBIN0996335	150896118078604	1918589	0	0	1918589
					1918589	0	0	1918589

Scanned with OKEN Scanner

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-07-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6118078604
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/06/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD BarkotUttarkashi
Amount(In Rs)	1918589/-

Amount In Words :Nineteen Lakh Eighteen Thousand Five Hundred and Eighty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896118078604 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-07-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6118078604
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/06/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD Barkot Uttarkashi
Amount(In Rs)	1918589/-

Amount In Words :Nineteen Lakh Eighteen Thousand Five Hundred and Eighty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896118078604 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

18/7/24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Scanned with OKEN Scanner